न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 272/2018
GCMS No-2018/00373

प्रार्थीः–

राजेश टिंकर, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन जोधपुर हाल डूंगरपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. श्री दिलीप कुमार महाराज पुत्र श्री जोगजी (विक्रेता) मैसर्स माँ जोधपुर स्वीट्स सुरजपोल, बांगड हॉस्पीटल के सामने पाली निवासी–गुड़ा बालोतान तह.आहोर जिला जालौर
2. रेवन्तसिंह पुत्र जवाहरसिंह (मालिक) मैसर्स– माँ जोधपुर स्वीट्स सुरजपोल, बांगड हॉस्पीटल के सामने पाली निवासी मनावतों का वास चावण्डा जोधपुर–342024

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्राथी अधिवक्ता अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24-5-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाजे दिलवाई पर परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित था। दिनांक 20.2.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मां जोधपुर स्वीटस, बांगड हॉस्पीटल के सामने पाली पर गये तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला जो आमजन को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ मावा अपने कब्जे में रखे हुए पाया गया। फर्म का निरीक्षण करने पर फर्म मे एक काउन्टर फ्रिज में एक स्टील की ट्रे में मावा लगभग 4 किलोग्राम रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। गवाह के सामने विक्रेता को उनके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रूपये 400/– नकद देकर 1 किलो मावा खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त खरीदशुदा 1 किलोग्राम मावे को अच्छी तरह से हिला मिलाकर एवं साफ व सुखी स्टील की ट्रे में तुलवाकर नियमानुसार चार भागों में बांटकर चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की शिशीयों में डालकर प्रत्येक में 20 बूंदे फॉर्मेलिंग की डालकर एयर टाइट बंद किया। इन चार भागो के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **एडी–703** अंकित किया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी (मालिक) व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को मेरे स्वयं के द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में दिनांक 21.2.2018 को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया मावे का नमूने को अमानक Sub-standard का होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ Sub-standard मावे का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.2.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से खाद्य पदार्थ मावा क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या **एडी–703** अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./144/एक्ट/2018/163 दिनांक 12.3.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या **एडी–703** को Sub-standard माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard खाद्य पदार्थ मावे का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्राथीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24-5-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली